न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, भदोही।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–232 सन् 2026

C.N.R.No.UPSN01–000734–2026

ज्योतिष दूबे बालिग पुत्र अशोक कुमार दूबे, निवासी नदनी, थाना–विंध्याचल, जिला–मिर्जापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

एवं

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–233 सन् 2026

C.N.R.No.UPSN01–000722–2026

पवन सेठ बालिग पुत्र श्यामबाबू सेठ निवासी अर्जुनपुर, थाना–विंध्याचल, जिला–मिर्जापुर ।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य। .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–563 सन् 2025
धारा–318(4), 317(2) एवं 61(2) बी.एन.एस.
थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही।

आदेश

1. उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थना पत्र भिन्न–भिन्न अभियुक्तगण द्वारा पृथक–पृथक रूप से किन्तु एक ही अपराध संख्या, धारा व थाना में प्रस्तुत किये गये हैं, तथ्य एवं घटना एक ही है। अत: इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त ज्योतिष दूबे की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–232 सन् 2026 एवं प्रार्थी/अभियुक्त पवन सेठ की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 233 सन् 2026, एक ही मुकदमा अपराध संख्या–563 सन् 2025, धारा–318(4), 317(2) एवं 61(2) बी.एन.एस. थाना–गोपीगंज, जिला–भदोही के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किये गये हैं।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी दिनेश कुमार पाल ने थानाध्यक्ष गोपीगंज को संबोधित तहरीर दिनांक 13.12.2025 को 19.17 बजे इस आशय की प्रस्तुत किया कि वह ग्राम पूरेशम्भू थाना गोपीगंज का निवासी है। दिनांक 13.12.2025 को वह अपनी दुकान पाल ज्वेलर्स स्टेशन रोड केड़वरिया त्रिमुहानी से पहले अपनी दुकान पर था। समय करीब 12.00 बजे दिन में दो व्यक्ति उसके दुकान पर आये और कुछ सामान आर्डर देकर बाजार में अपना अन्य काम करने चले गये। फिर दोबारा समय करीब 2.30 बजे वे दोनों व्यक्ति उसकी दुकान पर वापस आर्डर में दिया हुआ सामान लेने आये। उसने एक जोड़ा पायल चांदी का वजनी 100 ग्राम, एक जोड़ी कान की झाली 1.9 ग्राम व एक मंगलसूत्र वजन 2 ग्राम उन दोनों व्यक्तियों को दे दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने उसके मोबाइल नंबर 8887844423 पर ऑनलाइन

65,000/–रूपये ट्रांसफर किया। उसने अपने मोबाइल नंबर पर बैलेंस चेक किया तो उसके खाते में पैसा नहीं आया तो उसने दोबारा अपना बैलेंस चेक किया तो भी पैसा उसके खाते में नहीं आया। तब तक वे दोनों व्यक्ति अपनी बाइक पर बैठ कर स्टेशन की तरफ चले गये। वह दौड़कर पकड़ने की कोशिस किया परन्तु दोनों व्यक्ति तेजी से अपनी बाइक जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी, लेकर चले गये। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक –13.12.2025 को 19.20 बजे थाना गोपीगंज पर दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात के विरूद्ध धारा 318(4) व 316 (2)बी.एन.एस. में मुकदमा पंजीकृत किया गया। अभियोजन कथानक यह भी है कि दिनांक 22.02.2026 को उ०नि० विरेन्द्र यादव एवं अन्य पुलिस हमराहियान मुखबिर की सूचना के आधार पर रामपुर कायस्थान तिराहा पर पहुंचकर मोटरसाइकिल संख्या UP 63 BJ 1286 से गंगापुर रामपुर घाट से गोपीगंज कस्बा की तरफ आ रहे व्यक्तियों को हिकमत अमली से घेर कर पकड़ लिया। नाम पता पूछा गया तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम ज्योतिष दूबे पुत्र अशोक कुमार दूबे निवासी ग्राम नदनी थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर व पीछे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजीत कुमार सिंह पुत्र अमरनाथ पटेल निवासी मुल्हवा थाना पड़री जनपद मिर्जापुर बताया। जामा तलाशी के दौरान ज्योतिष दूबे के पास से 3000/– रूपया बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ उक्त घटना में संलिप्त होने तथा सोने व चांदी के उक्त आभूषणों को सहअभियुक्त पवन सेठ को बेचने व थाना हाजा की पुलिस द्वारा पवन सेठ के घर पहुंच कर चोरी के उक्त आभूषणों का गला देने की उसकी संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाते हुए मामले में धारा 61(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी।

4. मैंने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना तथा फर्द बरामदगी व अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपने आधार जमानत व उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि वे बेगुनाह हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, उन्हें उपरोक्त मुकदमें में गलत ढंग से फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त ज्योतिष दूबे के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त मुकदमा अपराध संख्या 81/2026 के मामले में जेल में बंद था। किन्तु पुलिस द्वारा जेल से रिमाण्ड लेकर प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त पवन सेठ के बयान के आधार पर इस मामले में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का दिनांक 22.02.2026 के पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नही है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कोई इलेक्ट्रानिक साक्ष्य भी नही है। प्रार्थी/अभियुक्त पवन सेठ के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलंब से दर्ज

करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर लगाये गये अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 22.02.2026 से इस मामले में जिला कारागार में निरूद्ध है। अत: प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

6. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण तथाकथित दिनांक, समय व स्थान पर वादी मुकदमा से बेईमानी से संपत्ति हासिल किये हैं। थाना हाजा की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को पकड़े जाने पर उक्त घटना में सम्मिलित होने व अभियुक्त पवन सेठ द्वारा उक्त सोने चांदी के आभूषणों को गला देने के कथन के आधार पर अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है, जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाने का आग्रह किया गया।

7. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक 13.12.2025 को समय 12.00 बजे से 2.30 बजे के मध्य वादी मुकदमा दिनेश कुमार पाल के सोने चांदी की दुकान जो स्टेशन रोड केड़वरिया त्रिमुहानी, गोपीगंज में स्थित है से एक जोड़ा पायल चांदी का वजनी 100 ग्राम, एक जोड़ी कान की झाली 1.9 ग्राम व एक मंगलसूत्र वजन 2 ग्राम साजिशन बेईमानी से प्राप्त कर लेने व थाना हाजा की पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर सोने चांदी के आभूषणों को गला कर सिल्ली व रवा बना दिये जाने का आरोप है।

8. पत्रावली व प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नही हैं। तथाकथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र जनसाक्षी होना दर्शित नही है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अभियुक्तगण इस मामले में दिनांक 22.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। थाने की आख्यानुसार उक्त घटना के पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास होना दर्शित नहीं है।

9. अतः मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितयों में गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना जमानत का आधार उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण–ज्योतिष दूबे एवं पवन सेठ की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए उन्हें मु० 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि–

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगें।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गवाहों को न तो डरायेंगे, धमकायेंगे और न उन्हें किसी तरह का प्रलोभन देकर साक्ष्य को प्रभावित करेगें।
3. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आरोप विरचन, धारा–351 बी.एन.एस.एस. के बयान

तथा निर्णय हेतु नियत दिनांक को सम्बन्धित न्यायालय में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होंगे।

10. चूंकि अभियुक्तगण जेल में निरूद्ध है। अतः इस जमानत आदेश की प्रति जरिए ई–मेल अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाए।

11. आदेश की प्रति जमानत प्रार्थना पत्र सं० 233 सन् 2026 पवन सेठ बनाम राज्य की पत्रावली पर रखी जाए।

दिनांक –13.03.2026

(अखिलेश दूबे)
सत्र न्यायाधीश
भदोही।
JO Code No. UP 5725

Digitally signed by AKHILESH DUBEY
Date: 2026.03.13 16:49:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court